राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांकः एफ13( )WD&SC/JD/Agr-II/2014–15 / 4971–5016 दिनांकः 10/3/2015

परियोजना प्रबन्धक
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
जिला परिषद समस्त ..............

विषयः– उत्पादन गतिविधियों के अन्तर्गत नस्ल सुधार हेतु आई.डब्ल्यू.एम.पी योजना में जलग्रहण क्षेत्रों में पशुपालकों को उन्नत किस्म के बकरे, मेडे, सांड आदि उपलब्ध करवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय जिलों से उत्पादन गतिविधियों मद में नस्ल सुधार हेतु पशुपालकों को उन्नत किस्म के बकरे, मेडे, सांड आदि उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में बार–बार पत्राचार किया जा रहा है। उन्नत किस्म के बकरे, मेडे, सांड आदि क्रय करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.2013 के आइटम संख्या 38 नियम 32 के (Rajasthan transparency in Public Procurement Rules 2013 के प्रावधान) अनुसार उन्नत नस्ल के पशुधन बकरें, मेडे, सांड आदि राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम या केन्द्र सरकार के विभाग या उपक्रम से बिना निविदा के क्रय किए जा सकते हैं।

उन्नत नस्ल के बकरे, मेडे, सांड आदि जलग्रहण क्षेत्रों मे कृषकों/पशुपालकों को आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के दिशा निर्देशानुसार कृषकों/पशुपालकों से अंशदान जमा करवाने के उपरान्त उपलब्ध करवाये जा सकते है। अतः इस सन्दर्भ मे सभी जिलों के परियोजना प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

9.3.15
(एम.एस. काला)
निदेशक

क्रमांकः एफ13( )WD&SC/JD/Agr-II/2014–15 / 4971–5016 दिनांकः 10/3/2015
प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान, जयपुर।
2. अति निदेशक (IWMP) निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक मुख्यालय, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान, जयपुर।
4. ए.सी.पी. निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि सभी परियोजना प्रबन्धकों को ई–मेल करें एवं विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करें।

9.3.15
निदेशक